

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 2198/2024

डॉ. महेन्द्र सिंह हाडा

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, एस.एम.एस मेडिकल कॉलेज, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.07.2024

आदेश की दिनांक : 05.07.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

समक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सह आचार्य (Oto-rhino-laryngology E.N.T.) के पद पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय मेडिकल कॉलेज, उदयपुर किया गया तथा उक्त आदेश की अनुपालना में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 08.06.2024 (अनुलग्नक-2) के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के पत्नी सहायक आचार्य (Obstetrics & Gynelogy) के पद पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कार्यरत है। अतः अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.

02.2024 के द्वारा पति-पत्नी की स्थानान्तरण नीतियों के विपरीत जाकर किया गया है, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः अपीलार्थी की परिस्थितियों को देखते हुए अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 08.06.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि सह आचार्य (Oto-rhino-laryngology E.N.T.) के पद पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय मेडिकल कॉलेज उदयपुर किया गया है, जबकि अपीलार्थी एवं उसकी पत्नी दोनों चिकित्सा विभाग में जयपुर में पदस्थापित है और आलोच्य आदेश द्वारा अपीलार्थी एवं उसकी पत्नी दोनों को ही एक ही आदेश द्वारा अलग-अलग जिलों में पदस्थापित किया गया है, जो स्थानान्तरण नीति के विपरीत है। ऐसी स्थिति में हम मामले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी तीन सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 08.06.2024 का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है एवं अपीलार्थी को अभ्यावेदन निस्तारण होने तक वहीं पर कार्यरत रखा जावे, जहां चुनौती आदेश जारी किए जाने से पूर्व कार्यरत था। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित

समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य